न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 04 / 2020

अपीलकर्ता		उत्तरदातागण
1 ओमप्रकाश चौहान पुत्र भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मुरटाला गाला, महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 सरपंच ग्राम पंचायत महाबार 2 हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह 3 तारादेवी पत्नी भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मुरटाला गाला, महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :- 1 श्री हनीफ खां, वकील अपीलकर्ता।
2 श्री हिन्दूराम भाटी, वकील उतरतदाता संख्या 02 व 03।

आदेश

दिनांक 24.2.21

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 03 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1947 / 817 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 1968 / 821 रकबा 03.13 बीघा कुल रकबा 04.00 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलान्ट व उतरदाात संख्या 02 सगे भाई है तथा उतरदाता संख्या 03 अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 की माता है जो भंवरसिंह के वारिसान है। अपीलान्ट के पिता भंवरसिंह की फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 05.10.2010 को स्वीकृत कर अपीलकर्ता का घरेलु नाम मोहनसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलकर्ता का दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश है। अपीलान्ट को उक्त गलत नामान्तकरण का ज्ञान होने पर दिनांक 20.07.2020 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी होने से राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की और यह अपील प्रस्तुत की, जो अन्दर म्याद सुमार की जाकर नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 05.10.2010 खारिज फरमाया जावे तथा अपीलान्ट का नाम भी जमाबन्दी में अंकित किया जावें।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील उतरदाता संख्या 02 व 03 की और से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलकर्ता ओमप्रकाश, उतरदाता संख्या 02 का सगा भाई है, उतरदाता संख्या 03 का पुत्र तथा स्वर्गीय भवंरसिंह का जायन्दा पुत्र तथा प्रथम श्रेणी का वारिस है। अपीलान्ट के पिता भंवरसिंह की फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 05.10.2010 को स्वीकृत कर अपीलकर्ता का घरेलु नाम मोहनसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलकर्ता का दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश है। ऐसी स्थिति में अभिलेख में मोहनसिंह का सही नाम ओमप्रकाश दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया कि अपीलान्ट को दिनांक 20.07.2020 को नामान्तकरण की नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत फौतेदगी नामान्तकरण का ज्ञान हुआ। पटवारी हल्का से चालू जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने पर उसका नाम गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:11:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपीलकर्ता मृतक भंवरसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसके नाम नामान्तकरण में अशुद्ध नाम मोहनसिंह के स्थान पर ओमप्रकाश शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता मृतक भंवरसिंह का पुत्र होने के नाते नामान्तकरण में अशुद्ध नाम को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपील म्याद सुमार की जाती है।

वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट व उतरदाात संख्या 02 सगे भाई है तथा उतरदाता संख्या 03 अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 की माता है जो भंवरसिंह के वारिसान है। अपीलान्ट के पित्ता भंवरसिंह की फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 05.10.2010 को स्वीकृत कर अपीलकर्ता का घरेलु नाम मोहनसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलकर्ता का दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश है। लिहाजा उक्त नामान्तकण निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाकर अपीलाधीन भूमि में अपीलकर्ता का अशुद्ध नाम मोहनसिंह के स्थान पर दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश दर्ज करते हुए नये सिरे से भंवरसिंह के वारिसान के नाम नामान्तकरण पारित करने का निवेदन किया। वकील उतरदाता संख्या 02 व 03 को अपीलकर्ता का नाम शुद्ध किये जाने पर कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलाधीन भूमि में स्वर्गीय भंवरसिंह की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 05.10.2010 में अपीलकर्ता का नाम भंवरसिंह के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज होना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत महाबार द्वारा अपीलकर्ता का अशुद्ध नाम मोहनसिंह नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1947/817 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 1968/821 रकबा 03.13 बीघा कुल रकबा 04.00 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 05.10.2010 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट ओमप्रकाश के दस्तावेजी सबूतों की जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:11:07 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 24.2.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर